

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/पू0पी0ग0)/ /19, लखनऊ : दिनांक 09 : जनवरी-2019,

-:: आदेश ::-

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह फरवरी-2019 में दिनांक 19.02.19 से 21.02.19 तक पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित वादों के निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पूर्ण पीठ गठित की जाती है।

गठित पूर्ण पीठ में मेरे साथ श्री नरेन्द्र कुमार-IV, एच0जे0एस0, न्यायिक सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम, लखनऊ व श्री अम्बेश श्रीवास्तव, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय इलाहाबाद सम्मिलित होंगे।

उक्त गठित पूर्ण पीठ में मुख्यालय पर लम्बित अपीलों के अतिरिक्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम व पीठ-द्वितीय, लखनऊ में पूर्ण पीठ से सम्बन्धित लम्बित अपीलें भी सुनवाई/निस्तारण हेतु नियत की जायें।

तदनुसार सम्बन्धित को सूचित किया जाये।

ह0-09.01.19

(प्रेम कला सिंह)

एच0जे0एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन - वा0क0अधि0/पू0पी0ग0/67 /2019, तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-प्रथम /द्वितीय, लखनऊ।
- 2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 5-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

प्र निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।